

# Order Sheet [Contd]

Case No 259/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
17.07.2017	<p>आवेदक/अभियुक्त रामौतार की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। अधीनस्थ जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय गोहद से मूल अभिलेख प्र0क0 698/15 ई0फौ0 शा0पु0 गोहद वि0 रामौतार प्रस्तुत।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा0फौ0 का प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि इसके अलावा अन्य कोई आवेदनपत्र इस प्रकार का किसी भी न्यायालय में न तो लंबित है और न ही निराकृत किया गया है।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र में प्रार्थना की है कि आवेदक को घटना की कोई जानकारी नहीं थी, पुलिस द्वारा उसे गलत साक्षी बनाया था और आवेदक ने जानकारी अनुसार ही न्यायालय में कथन किए थे, किन्तु न्यायालय द्वारा आवेदक के विरुद्ध धारा 340 सहपठित धारा 195 जा0फौ0 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। उक्त अपराध में प्रार्थी की गिरफ्तारी होना की संभावना है। आवेदक वार्ड न. 4 गोहद का स्थाई निवासी है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः आवेदक को उचित अग्रिम प्रतिभूति पर छोड़े जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि आवेदक/अभियुक्त के जो पुलिस में कथन रहे हैं वही न्यायालय में रहे हैं, किन्तु इसके उपरांत भी विचारण न्यायालय ने आवेदक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने का गलत आदेश दिया है।</p> <p>प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध सत्र प्र0क0 288/14 में पीठासीन अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक रामअवतार ने न्यायालय में सही बात नहीं बताना स्वीकार किया गया है और जिसका कोई खण्डन रिकार्ड पर नहीं है और न्यायालय द्वारा असत्य कथन किया जाना पाया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा आलौच्य निर्णय के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील की गई हो, वहाँ से गिरफ्तारी के विरुद्ध स्थगन प्राप्त किया हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने संबंधी अपराध पाये जाने का निष्कर्ष निकालकर परिवाद प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम प्रतिभूति का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>परिणामतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा0फौ0 निरस्त किया जाता है।</p> <p>आदेश की प्रति सहित मूल अभिलेख बापस हो।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: center;"><b>सही/-</b> ए0एस0जे0 गोहद</p>	

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)